सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-583/JH/7/2022-SSW Dated: 10/07/2024

To,

Shri Chandan Kumar,
Deputy Commissioner-cum-District Magistrate,
District – Ramgarh,
(Jharkhand) – 829122
(Email: dc-ramgarh@gov.in)
(Mob No. 9431146500)

Sub: एम.टी.एस के पद पर वन स्टॉप सेन्टर रामगढ में अनुसूचित जनजाति की महिला को संविदा के आधार पर नियुक्ति न देने के संबंध में – सुश्री प्रीति कुमारी, जिला – रामगढ झारखंड का दिनांक 15.08.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13.06.2024 at 02:20 PM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

सुश्री प्रीति कुमारी,
ग्राम – आरा बस्ती,
पोस्ट - सरूवेरा,
जिला – रामगढ (झारखंड)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 02.20 बजे, होटल बी.एन.आर, चाणक्य, रांची में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह समुदाय की महिला को बहु-उद्देश्य सहायक के पद पर जिला प्रशासन द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति न देने के संबंध में - सुश्री प्रीति कुमारी, ग्राम-आरा बस्ती, पोस्ट – सरूबेरा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) के प्रकरण में आयोजित बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या: NCST/SER-583/JH/7/2022-SSW

दिनांक: 13.06.2024 को 02.20 बजे, स्थान- बी.एन.आर, चाणक्य, रांची

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

सुश्री प्रीति कुमारी (असुर, अनुसूचित जनजाति एंव विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) ग्राम-आरा बस्ती, पोस्ट – सरूबेरा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) ने दिनांक 15.08.2022 के अभ्यावेदन में बताया है जिला- रामगढ प्रशासन ने MTS के पद पर One Stop Centre, रामगढ में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन (ज्ञापन संख्या 1024 दिनांक 04.12.2021) निकाला था। इस संदर्भ में दिनांक 01.04.2022 को उपायुक्त/समाज कल्याणविभाग को आवेदन दिया था परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। MTS के तीन पद (केवल महिलाओं के लिए) में से एक पद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - असुर (PVTG-female) को दिलवाने का कष्ट करें।

प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु NCST समसंख्यक नोटिस दिनांक 30.09.2022 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ को लिखा था। जिला प्रशासन, रामगढ़ से सूचना अप्राप्त थी। इस प्रकरण में आयोग द्वारा आवेदिका के पिता के साथ दूरभाष (Mob no. 9939114863) पर दिनांक 28.05.2024 को वार्ता हुई जिस पर उन्होने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

NCST द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.06.2024 को 02.20 बजे रांची sitting आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना, श्री चन्दन कुमार, उपायुक्त एवं जिला अधिकारी, रामगढ़ (झारखंड) तथा आवेदिका को समसंख्यक नोटिस एवं पत्र क्रमशः द्वारा दिनांक 04.06.2024 को भेजा गया। दिनांक 13.06.2024 को बैठक में आवेदिका उपस्थित हुई परंतु जिला प्रशासन, रामगढ़ की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने जिला प्रशासन, रामगढ की तरफ से कोई अधिकारी उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया।

आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ करते हुये 15 दिन के भीतर की गयी/की जाने वाली कार्यवाई की रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया। जिला प्रशासन, रामगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आयोग द्वारा आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी:

1. बहु-उद्देश्य सहायक(केवल महिलाओं के लिए) पद के लिए कितने आवेदन आए थे?
2. बहु-उद्देश्य सहायक पद पर कितने अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को नियुक्त किया गया और उनमें से कोई विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) समुदाय का भी है?
3. आवेदिका के आवेदन पर प्रशासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया?
4. यदि कोई पद रिक्त है तो आवेदिका के आवेदन को स्वीकार किया जाए, क्योंकि वह राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबन्धित हैं।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 2:20 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह समुदाय की महिला को बहु-उद्देश्य सहायक के पद पर जिला प्रशासन द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति न देने के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	**Deputy Commissioner –cum- District Magistrate, District - Ramgarh (Jharkhand)**
	-
II	**Petitioner**
	Ms. Priti Kumari

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi